न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2017/00108

उनवान

1. शिवदेई वेवा बुद्धी
2. रविन्द्र सिंह
3. बबलू
4. पुष्पेन्द्र
5. भारती
6. गुडडी पुत्री बुद्धी

पिसरान बुद्धी जाति जाटव नि0 खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. शेर सिंह
2. रवि
3. विनय कुमार

पिसरान भगवानदास जाति जाटव निवासी खानुआ तह0रूपवास हाल निवासी वोदला नागल बस्ती आगरा।

4. शशि पुत्री भगवानदास पत्नी राजकुमार निवासी छऊआ तह0 शाहगंज आगरा।
5. रितू पुत्री भगवानदास पत्नी नारद निवासी विछिया जिला धौलपुर।
6. रोशनी पुत्री भगवानदास पत्नी मुरारी निवासी विछिया जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 06.04.2017 उनवानी शेर सिंह बनाम बुद्धी मु0न0 191/14

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गंगाराम शर्मा वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 20.12.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 06.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना

पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल रकवा 20 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम खानुआ तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में रैस्पो0/प्रार्थीगण के पिता भगवानदास का हिस्सा 1/2 से 1/4 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थे। उक्त विवादित आराजी रैस्पो0/प्रार्थीगण एवं अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण की असल पैतृक आराजी है, जो उन्हें अपने बाबा तुलसी से विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में होने के कारण, रैस्पो0/प्रार्थीगण को परेशान करते हैं। रैस्पो0/प्रार्थीगण दिनांक 10.10.14 को अपने हिस्से की आराजी को जुतवाने के लिये मौके पर पहुँचे तो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण मारपीट पर उतारू हो गये और कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी भगवानदास ने उक्त आराजी हमारे नाम रिलीज डीड कर दी है अब तुम्हारा विवादित आराजी पर कोई हक नहीं रह गया है। अतः रैस्पो0/प्रार्थीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई रैस्पो0/प्रार्थीगण के नोशनल शेयर तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपीलाण्ट से पहले उनके पिता बुद्धी काबिज खातेदार काश्तकार थे। रैस्पो0 का विवादित आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन जारी कर कानूनी गलती की है। रैस्पो0 के पिता भगवानदास ने अपीलाण्ट के पिता बुद्धी से काफी पैसा अपना कर्ज चुकाने के लिये लिया था। उसके बदले में उसने रिलीज डीड अपीलाण्ट के पिता बुद्धी के हक में दिनांक 15.03.2000 को कराई थी एवं तभी से अपीलाण्ट के पिता बुद्धी तथा उनके देहान्त के बाद अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त ताहाल चला आ रहा है एवं रैस्पो0 गॉव खानुआ छोडकर आगरा मे बस गये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों पर ध्यान ना देते हुए, कानून से हटकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2016 पेज 244, 2011 पेज 566, आर0आर0डी0 1998 पेज 78, 1984 पेज 492, 1994 पेज 581 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी अपीलांट एवं रैस्पो0 के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अपीलाण्ट के विवादित आराजी में हित निहित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर, मूल दावे के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0डी0 1981 पेज 512, 1983 पेज 206, आर0आर0डी0 14.06.2011 पेज 353, 366 आर0एल0डब्ल्यू 1992(1) पेज 452, आर0आर0टी0 2016(2) पेज 946, 2014(1) पेज 374,509, 2014(2) पेज 965, 2015(2) पेज 985, डी0एन0जे0 (एस.सी.) 2008 पेज 875, ए.आई.आर. 1977(मद्रास) पेज 500 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत 2055–58 के खाता संख्या 380 व 920 पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पूर्व पुरूष सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, विवादित भूमि को पैतृक माना जाकर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। प्रश्नगत आराजी बाबत् वाद वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार निर्णित होंगें। वाद में विवादित भूमि की स्थिति में परिवर्तन हाने पर, वाद जटिलता, बहुलता उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरापद है। अतः हम अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास का निर्णय दिनांक 06.04.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर